भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2675
दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में पंचायतों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान

†2675. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत तमिलनाडु को जल और स्वच्छता के लिए मूलभूत और अनुबद्ध अनुदानों के अंतर्गत अलग-अलग कुल कितना आवंटन किया गया है;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत तमिलनाडु की पंचायतों को कितनी निधि जारी की गई है और निधि संवितरण में किसी विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) तमिलनाडु में कुल कितनी ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के अधिदेश के अंतर्गत विशेषकर जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए अनुबद्ध अनुदान प्राप्त हुआ है; और

(घ) तमिलनाडु में पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग से अनुबद्ध अनुदानों के उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश और शर्तें निर्धारित की गई हैं और इन शर्तों के अनुपालन हेतु मंत्रालय द्वारा क्या तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तर के लिए तमिलनाडु को कुल 2957.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से 1182.80 करोड़ रुपये की धनराशि अबद्ध (अनटाइड) अनुदान है, और 1774.20 करोड़ रुपये जल एवं स्वच्छता के लिए बद्ध (टाइड) अनुदान है।

(ख) 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर को वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2025-26 के लिए कुल 2824 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित अनिवार्य शर्तों (जैसे अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) प्रस्तुत करना, विधिवत गठित/निर्वाचित निकाय, लेखापरीक्षित खाते की उपलब्धता और वार्षिक खाते का समापन इत्यादि) का पालन नहीं किए जाने के कारण, वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2025-26 के लिए तमिलनाडु की पंचायतों को अब तक कोई भी अनुदान अनुशंसित और जारी नहीं किया गया है।

(ग) तमिलनाडु राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए, विशेष रूप से बद्ध (टाइड) अनुदानों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए 5387.44 करोड़ रुपये की सभी आवंटित अनुदान तमिलनाडु राज्य के सभी 12525 ग्राम पंचायतों को जारी कर दी गई हैं और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1419.36 करोड़ रुपये के कुल बद्ध (टाइड) अनुदान में से, 37 जिलों में 12525 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 709.68 करोड़ रुपये की राशि का बद्ध (टाइड) अनुदान प्राप्त हुआ है और 9 जिलों में 2901 ग्राम पंचायतों के लिए 160.68 करोड़ रुपये की राशि बद्ध (टाइड) अनुदान के रूप में आंशिक रूप

से प्राप्त हुई है और 15वें वित्त आयोग के तहत 28 जिलों के लिए 549.00 करोड़ रुपये की शेष बद्ध (टाइड) अनुदान राशि दूसरी किस्त के रूप में बची हुई है।

(घ) तमिलनाडु सहित राज्यों में पंचायतों ने 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग हेतु, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को वर्ष '2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदानों पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश' जारी किए हैं और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ने अगस्त, 2021 में 'जल एवं स्वच्छता के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के बद्ध (टाइड) अनुदानों के उपयोग हेतु नियमावली (2021-22 से 2025-26)' जारी की है।

वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को जारी '2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदानों पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश' https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s316026d60ff9b54410b3435b403afd226/uploads/2023/02/2023020674.pdf पर देखा जा सकता है।

अगस्त, 2021 में जारी 'जल एवं स्वच्छता के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों के उपयोग हेतु नियमावली (2021-22 से 2025-26)' https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/manual-for-utilisation-of-15th-fc-tied-grants.pdf पर देखी जा सकती है।

इन शर्तों के अनुपालन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं का विकास करना है। यह योजना समग्र, समावेशी सतत विकास कार्यक्रम तैयार करके, स्थानीय ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोग में सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वे पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के समन्वय से उन्हें प्राप्त धनराशि का कुशलतापूर्वक उपयोग हो सके जिसमें ग्रामीण अवसंरचना और सेवाएं भी शामिल हैं। इसका कार्यान्वयन निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके शासन, नेतृत्व कौशल और ई-गवर्नेंस से संबंधित क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे पंचायतों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सकें ।

***